

रिपोर्ट पदवारी हलका/आइओएल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नानुसार
 श्रीमान जी, प्रार्थी द्वारा दिये गये दस्तावेज आधार की, परिवार रजिस्ट्रार की, पदवी पत्र
 के पास हुए के अनुसार गुल्जारी उं च-हराम के ल गुल्जारी उं च-हराम
 किया जाना प्रस्तावित है -

दिनांक :- 23/11/2020

गुल्जारी उं च-हराम, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

क्रमांक : राजस्थ/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाय उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोडजी

15/19
23/11/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/2020

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नोक्त दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पारु	2075-78	732	गुल्जारी उं च-हराम	गुल्जारी उं च-हराम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उचित भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/2020

क्रमांक :- राजस्थ/2020/ 1187-88

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोडजी को वास्तव पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी